भारत सरकार
शिक्षा मंत्रालय
स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-160
उत्तर देने की तारीख-21/07/2025

विद्यालय जाने वाली आयु के बच्चों का पुनर्नामांकन

†160. **श्री पी.वी. मिधुन रेड्डी:**

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आंध्र प्रदेश में 46,138 विद्यालय जाने वाली आयु के बच्चों का पुनर्नामांकन करने के लिए कोई लक्षित हस्तक्षेप की योजना बनाई गई है, जो हालिया रिपोर्टों के अनुसार विद्यालय छोड़ गए हैं;
(ख) क्या सरकार ने ऐसे बच्चों, जिनके विद्यालय छोड़ देने की संभावना है, की शीघ्र पहचान करने में उभरती प्रौद्योगिकियों - जैसे कि एआई-आधारित प्लेटफॉर्मों की भूमिका का मूल्यांकन किया है, यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(ग) विद्यालय छोड़ देने वाले बच्चों की संख्या में कमी लाने के लिए समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत आवंटित धनराशि का जिलावार ब्यौरा क्या है?

उत्तर

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री जयन्त चौधरी)

(क): छह वर्ष से अधिक आयु के बच्चे, जिन्हें किसी भी स्कूल में प्रवेश नहीं मिला है या प्रवेश मिलने के बावजूद वे अपनी प्रारंभिक शिक्षा पूरी नहीं कर पाए हैं, उन्हें स्कूल न जाने वाले बच्चों (ओओएससी) के रूप में चिह्नित किया जाता है, ताकि नियमित स्कूलों में आयु-उपयुक्त कक्षा में उनका नामांकन किया जा सके। यह सुनिश्चित करने के लिए कि नियमित स्कूलों में दाखिला प्राप्त ऐसे ओओएससी को स्कूल प्रणाली में एकीकृत किया जाए, उन्हें आवश्यकतानुसार आवासीय या गैर-आवासीय पाठ्यक्रमों के रूप में विशेष प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। केन्द्र प्रायोजित योजना 'समग्र शिक्षा' के तहत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को गैर-आवासीय प्रशिक्षण के लिए प्रति बच्चा प्रति वर्ष 6000 रुपये तक तथा आवासीय प्रशिक्षण के लिए प्रति बच्चा प्रति वर्ष 20000 रुपये तक की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। माध्यमिक स्तर पर, 16-19 वर्ष की आयु वर्ग के ओओएससी और सामाजिक एवं आर्थिक रूप से वंचित समूहों (एसईडीजी) से संबंधित बच्चों के लिए, यदि उन्हें औपचारिक स्कूल में मुख्यधारा में लाना संभव नहीं है, मुक्त/दूरस्थ शिक्षा मोड के माध्यम से शिक्षा जारी रखने के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध है। पंजीकरण, पाठ्यक्रम सामग्री तक पहुंच और प्रमाणन के लिए माध्यमिक/उच्च माध्यमिक स्तर

पर मुक्त स्कूल प्रणाली के माध्यम से शिक्षा पूरी करने के लिए प्रति वर्ष प्रति बच्चा प्रति कक्षा 2000 रुपये तक की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

आंध्र प्रदेश राज्य सरकार ने शैक्षणिक वर्ष 2025-26 के लिए 47,543 ओओएससी की पहचान की है। इन 47543 ओओएससी में से 8882 बच्चों को नियमित स्कूलों/छात्रावासों में नामांकित किया गया है, 2833 बच्चों को गैर-आवासीय विशेष प्रशिक्षण के लिए, 11842 बच्चों को आवासीय विशेष प्रशिक्षण के लिए तथा 23986 बच्चों को मुक्त स्कूल प्रणाली के तहत पाठ्यक्रम सामग्री और प्रमाणन के प्रावधान के लिए चिह्नित किया गया है।

(ख): छात्रों की उपस्थिति की निगरानी करने और सुधार के लिए प्रौद्योगिकी आधारित पहल शुरू की गई है। आंध्र प्रदेश राज्य सरकार से प्राप्त जानकारी के अनुसार, यह सुनिश्चित करने के लिए कि 5-18 वर्ष की आयु के सभी बच्चों का नामांकन हो और उन्हें शिक्षा प्रणाली में बने रहने के लिए, एक डेटा आधारित, बहु-विभागीय दृष्टिकोण अपनाया गया है। एपीआई आधारित एकीकरण के माध्यम से, स्कूल न जाने वाले बच्चों की सटीक पहचान करने के लिए विभिन्न विभागों के डेटा का विश्लेषण किया जाता है। उदाहरण के लिए, आंगनवाड़ी केन्द्रों से प्राप्त डेटा के एकीकरण से उन बच्चों विशेषकर कम आयु वर्ग के बच्चों की पहचान करने में सहायता मिलती है, जिनका कभी नामांकन नहीं हुआ। क्षेत्र स्तर के अधिकारी अनुवर्ती कार्रवाई और आवश्यकता आधारित मध्यवर्तनों के लिए वास्तविक समय डैशबोर्ड का उपयोग करते हैं।

(ग): आंध्र प्रदेश राज्य सरकार से प्राप्त जानकारी के अनुसार, स्कूल न जाने वाले बच्चों के लिए समग्र शिक्षा के तहत आवंटित निधि का जिला-वार विवरण अनुलग्नक-I में दिया गया है।

*****

अनुलग्नक-I

माननीय संसद सदस्य श्री पी.वी. मिधुन रेड्डी द्वारा विद्यालय जाने वाली आयु के बच्चों का पुनर्नामांकन के संबंध में दिनांक 21.07.2025 को पूछा जाने वाला लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 160 के भाग)गके उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक। (

ओओएससी के लिए समग्र शिक्षा के तहत आवंटित निधि का जिलावार विवरण

जिले का नाम	प्रत्यक्ष नामांकन (बच्चों की संख्या)	गैर-आवासीय प्रशिक्षण		आवासीय प्रशिक्षण		मुक्त विद्यालयी शिक्षा प्रणाली	
		बच्चों की संख्या	निधि आवंटन लाख रुपये में	बच्चों की संख्या	निधि आवंटन लाख रुपये में	बच्चों की संख्या	निधि आवंटन लाख रुपये में
अनकापल्ली	115	98	3.12	100	10.00	505	10.10
अनंतपुर	289	118	1.77	51	2.55	1265	25.30
अन्नमय्या	540	0	0.00	0	0.00	808	16.16
एएसआर	1501	1370	61.65	0	0.00	863	17.26
बापतला	294	10	0.15	0	0.00	670	13.40
चित्तूर	156	32	0.48	0	0.00	980	19.60
पूर्वी गोदावरी	411	0	0.00	0	0.00	1610	32.20
एलुरु	125	0	0.00	0	0.00	252	5.04
गुंटूर	456	13	0.20	1400	140.00	691	13.82
कडपा	649	0	0.00	0	0.00	2677	53.54
काकीनाडा	197	153	4.59	445	44.50	1831	36.62
कोनासीमा	99	0	0.00	0	0.00	1588	31.76
कृष्ण	152	89	2.67	2150	215.00	826	16.52
कुरनूल	287	422	12.66	4003	400.30	831	16.62
पीवीपी मान्यम	153	2	0.06	1	0.10	190	3.80
नांदयाल	219	20	0.30	100	5.00	390	7.80
एसपीएसआर नेल्लोर	343	360	10.80	1120	112.00	1248	24.96
एनटीआर	92	0	0.00	1866	186.60	923	18.46
पालनाडु	314	0	0.00	262	13.10	985	19.70
प्रकाशम	205	0	0.00	344	34.40	1698	33.96
श्री सत्यसाईं	79	29	0.44	0	0.00	537	10.74
श्रीकाकुलम	458	26	0.78	0	0.00	320	6.40
तिरुपति	145	85	1.50	0	0.00	982	19.64
विशाखापत्तनम	1107	0	0.00	0	0.00	353	7.06
विजयनगरम	324	6	0.21	0	0.00	485	9.70
पश्चिम गोदावरी	172	0	0.00	0	0.00	478	9.56
कुल	**8882**	**2833**	**101.37**	**11842**	**1163.55**	**23986**	**479.72**

*****